न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का रावाड़ियाद

बनाम

अप्रार्थी – श्री शंकरसिंह राजपूत निवासी रावाड़ीया अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 56 / 2018

निर्णय — दिनांक

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रावाड़िया ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा संवत 2075 में सरहद ढोलिया के खसरा नम्बर 182 मैं. किस्म बा.4 में रकबा 0.03½ बीघा भूमि में बाड़ा मकान लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी शंकरसिंह से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री — ने दिनांक — को उपस्थित होकर — प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का मौजा रावाड़िया के खसरा नम्बर 182 किस्म गै. बा.4 में रकबा 0.03½ वाली की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 0 3/– रूपये प्रति बीघा की दर से अतिक्रमित रकबा 0:03½ बीघा भूमि के 0.09 रूपये लगान का 50 गुणा 5/– अक्षरे पांच रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी क्रर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनॉक 16.8.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा